संख्या-112 /2018/1918/41-2018-99 यो0/2013

प्रेषक,

ए0पी0 सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊः दिनांक 10 जुलाई,2018**

विषय- विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रावधानित धनराशि को निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-1235/प्रो-पुअर परि0/2018, दिनांक 30 मई, **2018** सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश प्रो-पुअर पर्यटन विकास की परियोजना हेतु आयव्ययक मे इस मद में प्राविधानित धनराशि रू0 40.00 करोड़ (रूपये चालीस करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) उपर्युक्त प्रस्तर-2 में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय विश्व बैंक सहायतित प्रो-पुअर टूरिज्म डेवलपमेन्ट की योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश सं0 2784/41-2013-99 यो0/2013, दिनांक 11.10.2013, शासनादेश सं0 75/3054/41-2014-99 यो0/2013, दिनांक 13.12.2014 एवं कार्यालय-ज्ञाप सं0 3734/41-2015-99 यो0/2013, दिनांक 17.12.2015 में किये गये प्राविधानों/शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किया जायेगा तथा निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 8/2017/बी0-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृति धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य योजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।

(2) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के सापेक्ष एकमुश्त आहरण नहीं किया जायेगा अपितु व्यय की आवश्यकतानुसार ही वित्त विभाग के नियमों/प्रावधानों के अन्तर्गत ही आहरित की जायेगी तथा कोषागार से आहरित धनराशि के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नही देता है। अत: जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व सक्षम स्तर से ऐसी स्वीकृति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 बी-1-1195।/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(3) प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में राजस्व पक्ष से सम्बन्धित व्ययों का भुगतान पूंजीगत पक्ष से न करके राजस्व पक्ष के लेखाशीर्ष के संगत मद में उपलब्ध प्रावधान से सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या- 136/41-2018-99 यो0/2013 में दिये गये परामर्श/निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का नियमित मिलान महालेखाकार इलाहाबाद से कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(5) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय किये जाने के पूर्व व्यय के मदों का निर्धारण सुनिश्चित कर लिया जायेगा तथा उस पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही व्यय किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये शर्तों एवं प्रतिबन्धों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा

(6) उक्त परियोजना हेतु पूर्व में निवर्तन पर रखी गई धनराशियों का शतप्रतिशत उपयोग परियोजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेशों एवं निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार कर लिये जाने तथा व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से प्राप्त होने पर संतुष्ट होने के पश्चात ही उपर्युक्त प्रस्तर-2 में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में समस्त उत्तरदायित्व परियोजना से सम्बन्धित/नामित अधिकारियों एवं वित्त नियत्रक पर्यटन निदेशालय का होगा।

(7) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में अनिवार्य रूप से शासन को समर्पित करते हुए राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो। परियोजना के अन्तर्गत सृजित सम्पत्ति के रख-रखाव का समुचित प्रबन्ध सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) प्रस्तर-2 में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का उपयोग पूजीगत मदों यथा कन्स्ट्रक्सन्स/सिविल वर्क्स/परचेज से सम्बन्धित मदों पर धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व बजट मैनुअल एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों एवं परियोजना के निर्धारित गाइड लाइन्स के अन्तर्गत परीक्षण करते हुए समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेंगी तथा यथावश्यकता शासन एवं वित्त विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना भी सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। साथ ही निर्माण कार्य से सम्बन्धित समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग तथा वित्त विभाग द्वारा निर्गत नियमों/ शासनादेशों के अन्तर्गत सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर ही सुनिश्चित किया जाय।

(10) परियोजना तथा निवर्तन पर रखी जा रही उक्त धनराशि के व्यय का अनुश्रवण महानिदेशक, पर्यटन स्तर पर नियमित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा एवं वित्तीय तथा भौतिक प्रगति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रश्नगत निर्माण कार्य के सम्परीक्षित लेखे भी अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे एवं उक्त परियोजना के क्रियान्वयन हेतु धनराशि व्यय किये जाने में सोशल आडिट के प्राविधानों का भी अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। परियोजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों का सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त निर्माण कार्य के अन्तर्गत सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों के रख-रखाव/अनुश्रवण हेतु उचित व्यवस्था रहे।

3. प्रस्तर-2 में निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-97-वाहय सहायतित परियोजनायें-9701-आगरा ब्रज परिक्षेत्र एवं बौद्ध परिपथ में प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना-24-वृहत्त निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पत्र संख्या-ई-7-553/दस-2018 दिनांक 09 जुलाई, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव।

संख्या-112/2018/1918/41-2018-99 यो0/2013 दिनांक 10 जुलाई, 2018।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- सचिव, आर्थिक कार्य मामले विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- सचिव, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय/वित्त/आवास एवं शहरी नियोजन/नियोजन/संस्कृति/वाह्य सहायतित परियोजना विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
8- अपर मुख्य परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रो-पुअर टूरिज्म डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट।
9- वित्त नियन्त्रक पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
10- प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उत्तर प्रदेश प्रो-पुअर टूरिज्म डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट।
11- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-7 ।
12- कन्ट्री डायरेक्टर, विश्व बैंक, नई दिल्ली।
13- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
14- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।